आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 148/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलायन्स एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड रजिस्टर्ड पता– रिलायन्स सेन्टर 6 वी, मंजिल, नॉर्थ विंग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, शान्ताकुज (वेस्ट) मुम्बई एवं ए–13,/1, 6 वी मंजिल, सिनर्जी टावर सैक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश, श्री विपिन कुमार मीना, एसाइनमेन्ट मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि॰

प्रार्थी
वित्तीय संस्था

बनाम

1. प्रभाकर शर्मा,
   पता :– प्लॉट नम्बर 2, गणेश नगर, आकेडा डूंगर, जयपुर।
   एवं पता :– शिव शक्ति इंजीनियर वर्क्स, मिलन सिनेमा के सामने, न्यू बाईपास, सीकर रोड, दीकेआई, जयपुर।
   एवं प्लॉट नम्बर 13, कैलाशपुरी, दिल्ली अजमेर बाईपास रोड के पास, आकेडा, जयपुर।
2. विमला देवी,
   पता :– प्लॉट नम्बर 2, गणेश नगर, आकेडा डूंगर, जयपुर।
   एवं पता :– शिव शक्ति इंजीनियर वर्क्स, मिलन सिनेमा के सामने, न्यू बाईपास, सीकर रोड, दीकेआई, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थितः–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 05.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नम्बर 13, कैलाशपुरी योजना, देहली अजमेर बायपास के पास, आकेडा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 08,60,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात मैसर्स मैग्मा फिनकोर्प लि॰ (परिवर्तित नाम) द्वारा दिनांक 19.02.2019 को उक्त खाते का एसाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ के मध्य हो गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 007/2008 दिनांक 14.02.2008 जारी किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 08,60,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 8,94,570.65/––रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.02.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नम्बर 13, कैलाशपुरी योजना, देहली अजमेर बायपास के पास, आकेडा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक **05.05.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

05/05/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर